Hope
Believe
Dream
हिंदी विभाग
नवोन्मेष
पीड़ित कौन ?

सम्पादकीय

हमारे हिन्दी विभाग की ओर से प्राचीर पत्रिका 'नवोन्मेष' में इस बार 'पीड़ित कौन?' विषय को चुना गया है, इस प्राचीर पत्रिका में हमने एक गंभीर और संवेदनशील समस्या लैंगिक भेदभाव, हिंसा, शोषण को दिखाकर इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और समाज में समानता लाने की कोशिश की है,

सभी लिंगों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसी बात को हमने इस पत्रिका के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है ताकि एक न्यायपूर्ण एवं सभ्य समाज का निर्माण हो सके,

पुजनीय गुरूजनों और विभाग के अग्रजों के मार्गदर्शन और सहायता के प्रति धन्यवाद सहित -

आत्रेयी कलिता
चतुर्थ छमाही

सम्पादक मंडली

शिक्षक मार्गदर्शक : डॉ. उन्मेषा कोंवर,
अरविंद कुमार शर्मा

परामर्शदाता : अमर, आदित्य, गोपाल

सम्पादक : आत्रेयी कलिता

सह सम्पादक : नेहा काश्यप, बार्बी पातमिरि

अलंकरण : बिदिशा, जैरिफा, मधुस्मिता, हिमाश्री,
हिमा श्री

सदस्य : दिक्षिता, हिमाक्षी, नबनीता, गार्गी, संजना

উद्घाटनकर्त्ता के कलम से....

এখন সৰ্বাংগসুন্দৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা 'নবোন্মেষ' হোৱাৰ বিষয় বাচনি, ৰচনা শৈলী আৰু হাতৰ আখৰ তথা অলংকৰণ সকলোতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভাৰ স্ফুৰণ ঘটিছে।

-ইন্দুপ্ৰভা দেৱী
৬/২/২০২৬

नारी की मर्यादा

नारी प्रकृति की अद्वितीय अनुपम रचना है, जिसके बिना इस संसार का अस्तित्व ही नहीं है। महिलाएँ सृजन और प्रेरणा का शाश्वत प्रतीक हैं। सृष्टि के आरंभ से ही स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की पूरक रहे हैं। महिला का बलिदान उसके घर, समाज और देश को प्रगति की सीढ़ी पर आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वर्तमान समाज में, देश में नारी कितना सुरक्षित हैं वह एक बड़ा प्रश्न है।

भारतीय सभ्यता में महिलाओं को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि आज महिलाएँ सुरक्षित हैं? अगर हाँ तो सोशल मीडिया पर महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकारों आदि पर चर्चा क्यों प्रतिदिन हो रही है? हम अखबार और टेलीविजन खोलते है तो हमें क्यों महिलाओं और नाबालिकों के साथ बलात्कार की खबरें दिखाई देती हैं। हमारे देश या समाज में हमेशा नारी के ऊपर अत्याचार दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के हृदय में प्रेम, दया, ममता आदि लोप हो चुकी है, अमानवीयता दिन व दिन बढ़ती जा रही है।

लोगों के हृदय में करुणा का भाव आज के समाज में न के बराबर हो चुका है। वर्तमान समय में हम भले ही नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ गये हैं पर आप भी महिलाएँ पूर्ण रुप से सुरक्षित नहीं हो पाई हैं। सरकार द्वारा विभिन्न महिला संबंधी कानून बनाने के बावजूद आज भी महिलाओं का शोषण देखने को मिल रहा है। यही आज की कटु सच्चाई है।

अतः सबके मन में यही प्रश्न रह जाता है कि कब तक नारी ऐसी ही शोषित रहेगी?

~ नेहा काश्यप
चतुर्थ छमाही

स्त्रियों के आँसू

वेदना से भरी हैं उनकी आँखे,
सपनों की डोर अब भी बाँधें।
सहन करती हर चोट, हर वार,
फिर भी मुस्कान में छुपाऊ संसार।

शिक्षा का हक छीन लिया जाता,
सपनों को बचपन में कुचल दिया जाता,
बचपन से सिखाया, सह लो सब,
लेकिन क्यों सहें?

हर गली, हर सड़क, हर राह पर डर,
उनके होने का हर पल खतरा भर।
पर क्या भूल गई दुनिया ये बात,
स्त्रियाँ ही हैं सृष्टि की औकात।

नारी हैं जीवन की धारा,
उससे ही तो है सुख सारा।
उसकी मुस्कान से सजता संसार,
तो क्यों करें उस पर अत्याचार?

~ दीपान्विता कलिता
छठी छमाही

न्याय कहा है ?

वर्तमान समय में भारतीय समाज में बहुत से कानून ऐसे भी हैं जो महिलाओं के पक्ष में ज्यादा है और पुरुषों के पक्ष में कम है। पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार होता है लेकिन इसके खिलाफ़ स्पष्ट सुरक्षा नहीं है। घरेलू दुर्व्यवहार की चर्चा अक्सर महिलाओं पर केंद्रित होती है। पुरुषों के साथ अब सिर्फ घरेलु दुर्व्यवहार ही नहीं, भावनात्मक मनोवैज्ञानिक, मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण भी होता है। लेकिन पुरुष मूक हैं, क्योंकि वे इन हानिकारक व्यवहार की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते हैं, जिससे वे चुपचाप पीड़ित बन जाते हैं। भारतीय घरेलू हिंसा कानून पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। जब कि हर कानून या नियम हर लिंग, जाति वर्ण या लोगों के लिए समान होना चाहिए। समाज में यह गलत धारणा है कि पुरुष केवल अपराध करने में ही सक्षम हैं, लेकिन वह सबके मामले में दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी घटना अक्सर ही घटित होती हैं। इसलिए समाज से इस गलत धारणा को दूर करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए।

~ गार्गी वर्मन
चतुर्थ छमाही

तीसरा अस्तित्व

न मैं लड़का हूँ, न लड़की,
न मैं बाप, न माँ बन सकती ।
हाँ मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो,
लोग कहते हैं मुझे किन्नर, हिजड़ा, छक्का से ।
मेरी पहचान को नामों से तौलते हैं,
अपनी सोच की दीवार में बांधते हैं ।
मेरा भी दिल है जैसे तुम्हारा,
फिर क्यों कर देते हो मुझे किनारा ?
जन्मी थी एक संयुक्त परिवार में,
पर रह गयी मैं अकेली इस संसार में ।
कहते हैं मैं हूँ वरदान की मुरत,
तो फिर क्यों यह समाज, नफरत करता है
देख मेरी सुरत ।

मैं तीसरी हूँ, पर तुमसे अलग कहाँ हूँ,
तुम्हारी तरह मैं भी इस समाज की हिस्सा हूँ ।

~ निकिता सुब्बा
छठी छमाही

समानता

न सूरज बड़ा, न चाँद छोटा,
न कोई ऊंचा, न कोई खोटा।
जो संग चले, वो साथी कहलाँऊ,
भेद मिटे, समता मुस्कुराँऊ।
न कोई कमजोर, न कोई महान
न करे कोई खुद पर अभिमान।
आओ मिटाँऊ ये भेद-भाव,
सबको मिले उनका हक़ समान।

~ अमर कुमार बासफोर
छठी छमाही

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और एक न्यायसंगत समाज स्थापना करना है।

अनुच्छेद 14: यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15: यह अनुच्छेद धर्म, जाति, जातीयता, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करना है।

अनुच्छेद 16: यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता को सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर रोजगार से वंचित न किया जाए।

अनुच्छेद 17: यह अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना है और इसका पालन करना दंडनीय अपराध बनाता है। इसका उद्देश्य समाज में छुआछूत और भेदभाव की बुरी प्रथाओं को जड़ से खत्म करना है।

अनुच्छेद 18: यह अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की उपाधि देने पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय शैक्षिक या सैन्य उपाधियों के।

आत्रेयी कलिता
चौथा छमाही

एक प्रश्न

एक प्रश्न मुझे बहुत खलता रहता है कि मैं उस गुड़िया से क्यों नहीं खेल सकता जिससे मेरी बहन खेलती रहती है, मुझे क्यों गुड़िया की जगह पिस्टल और गाड़ी जैसे खिलौने हाथ में थमा दिए जाते हैं, मुझे क्यों क्रिकेट और फुटबॉल खेलने मैदान भेज दिया जाता है जबकि मेरा मन तो घर-घर और गुड्डा-गुड्डी का खेल खेलने को करता है, पर जब भी मैं ये सब खेलने लगता तभी मुझे क्यों रोक दिया जाता है मैदान में भेज दिया जाता है, क्या मेरा ये सब खेलना कोई पाप है, जब मैंने अपनाया अपने जीवन के सच को तो हजारों प्रश्न पूछे गए मुझसे, सब कहते हैं कुल का कलंक है तू, तो क्या इस कलंक का जिंदा रहना जरूरी है?

क्या किसी के सपनों, उसकी पसंद और उसकी इच्छाओं को केवल इसलिए दबा देना सही है, क्योंकि वह समाज के बनाए हुए नियमों से मेल नहीं खाता? अगर मेरे पसंद, मेरे खेलने का तरीका और मेरा व्यक्तित्व दूसरों से अलग है, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ?

- आदित्य बर्मन
छठी कक्षा

दहेज प्रथा एक अभिशाप

दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक कलंक है, जो भारत की छवि विश्व भर में धूमिल कर रही है और भारत की संस्कृति, परंपरा और इसकी गरिमा को ठेस पहुँचा रही है। आज का आधुनिक एवं उन्नत भारत, जहाँ कोई रूढ़िवादी विचारों और परपंरा से बहुत ऊपर उठ गया है, वही दहेज प्रथा आज भी इसे आगे बढ़ने से रोक रही है।

21वीं सदी में भी लोग दहेज प्रथा को परंपरा मानकर निभा रहे हैं तो कोई लोग दहेज देने को अपनी शान और प्रतिष्ठा मानते हैं।

दहेज प्रथा के लगातार बढ़ते चलन से ही आज कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के शोषण और अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। दहेज प्रथा के कारण ही नवजात बच्ची का शव झाड़ियों में मिलना या फिर कूड़े के ढेर में बच्ची को फेकने की खबरें आम हो गई हैं।

इस कुप्रथा की वजह से आज भी बेटियों को बोझिल समझा जाता है, तो वही कई मां-बाप को बेटी के पैदा होते ही उनकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता सताने लगती है। वहीं दहेज प्रथा की वजह से ही आज भी कई परिवारों में बेटियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और बेटों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कहीं न कहीं यह कुप्रथा देश को आगे बढ़ने से रोक रही है।

~हिमाक्षी बर्मन
छठी छमाही

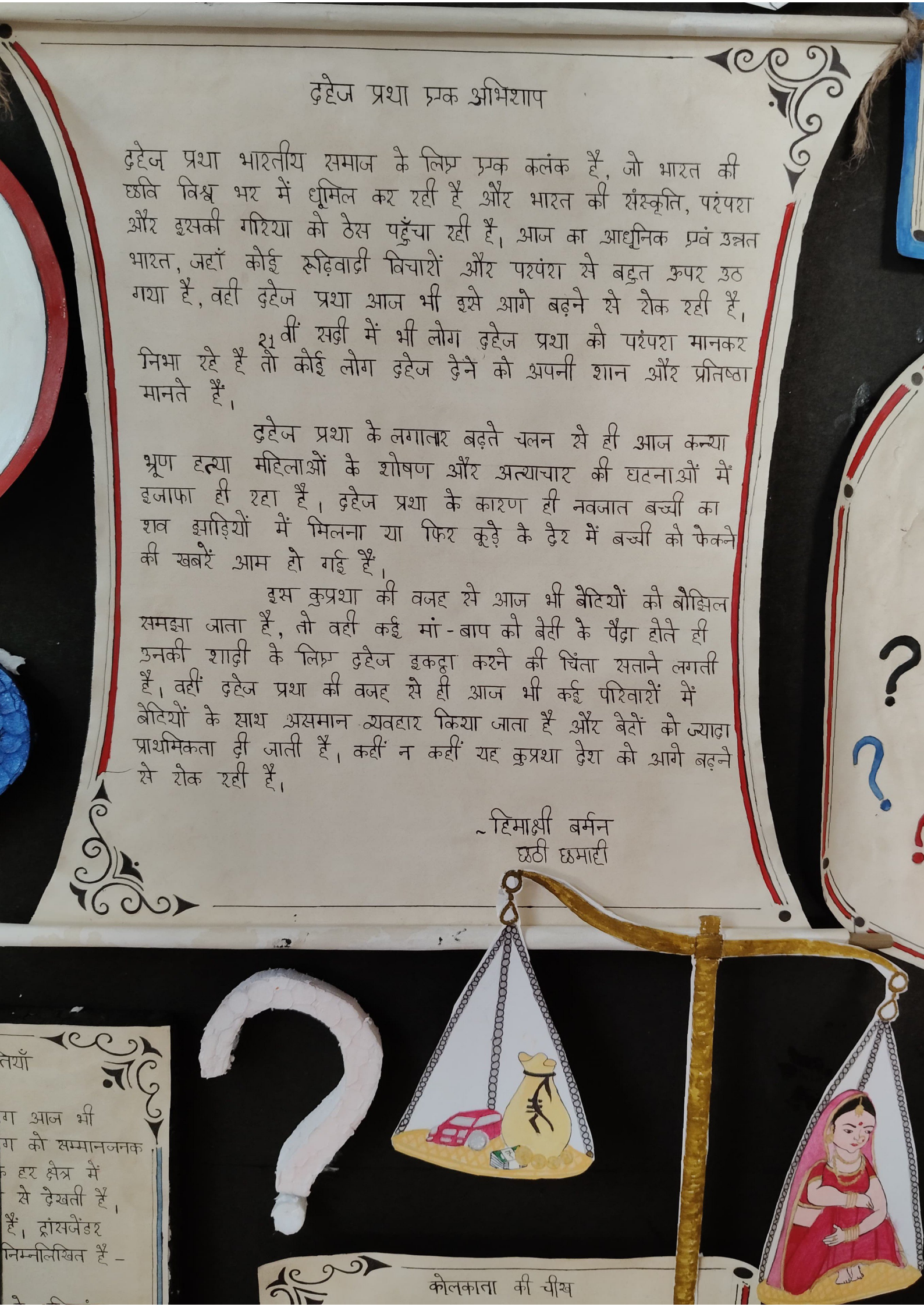

तियाँ

ग आज भी
ग को सम्मानजनक
के हर क्षेत्र में
से देखती है।
हैं। ट्रांसजेंडर
निम्नलिखित हैं -

कोलकाता की चीख

मर्द

साहसता की चादर ओढ़े, खामोश खड़ा है,
दुनिया के बोझ तले हर दर्द छुपा है।
मजबूती का नाम देकर उसे बंधन में बाँधा,
पर भीतर कहीं टूटा, कमजोर सा आदमी है आधा।

आँखों में आँसू, पर रोने का हक नहीं,
दर्द का बोझ उठाए, उसमें कोई शक नहीं।
जब कभी टूटे तो कहा गया कमजोर,
सहानुभूति की जगह मिलते तानों के जोर।
हर गलती का ठीकरा उसी पर फोड़ा।

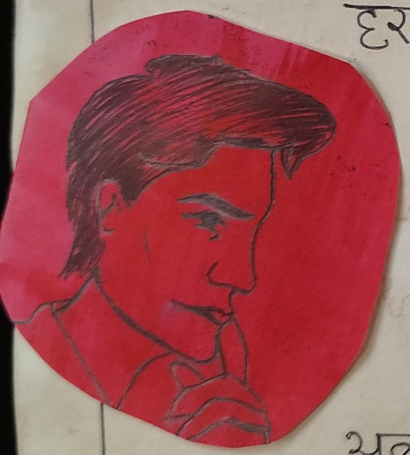

कानून भी कहता, वह तो दोषी ही होगा,
उसकी आवाज़ सुनने का मौका न देगा।
अत्याचार सहकर भी, चुपचाप है खड़ा,
पुरुष का संघर्ष भी है कितना बड़ा।

अब समय है, उसकी पीड़ा को समझा जाए,
पुरुष भी इंसान है, यह सच्चाई बताई जाए।
सम्मान और सहानुभूति का उसे भी हक मिले
हर दिल से दर्द का बोझ अब थोड़ा कम मिले।

~ गोपल यादव
छठी जमाही

पीड़ित कौन

कौन कहे किसने दर्द सहा
किसके हिस्से में क्या आया।
नारी की चुप्पी चीख बनी,
आँसुओं में उसकी कहानी बसी।

पुरुष का मन भी रोया कहीं
पर समाज ने उसकी सुनी न कहीं
आँसू उसके कमजोर कहे
सहते-सहते दर्द छुपाए।

ट्रांसजेंडर का दर्द अनसुना रहा,
पहचान न होने का बोझ हमेशा सहा।
हर गली मुहल्ले में अपमान मिला
उनके सपनों का चिराग बुझा।

शोषण का चेहरा हर ओर है,
पीड़ित तो हर दिल में है।
आओ मिलकर बदलाव लाएं,
सभी को समान बनाये।

~ भाग्यश्री दास
चतुर्थ कक्षा

नारी की चुप्पी का अंत

चुप्पी की दीवारों को गिराना होगा,
अब दर्द को आवाज़ दे जाना होगा,
हर चीख दबाई जो डर से कभी,
उसे सैलाब बन बहाना होगा।

जिस आँचल को आदर का मान मिला,
वहीं पर क्यों दाग का निशान मिला?
नारी को जो देवी कहा गया,
क्यों हर कोने पर अपमान मिला?

अब डर नहीं, अब सहमना नहीं,
इस अन्याय को चुप रह सहना नहीं।
हौसले से हर कड़वाहट हराओ,
अपने हक का परचम लहराओ।

हर आँसू अब अंगार बनेगा,
नारी का हृदय हथियार बनेगा।
इंसाफ का सूरज उगेगा यहाँ,
अत्याचार का अंत होग जहाँ।

अब समय है, उठो, बोलो, लड़ो,
अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ो।
दुनिया बदलेगी, यह वादा करो,
हर दिल में बदलाव का अलख भरो।

नाम: पायल कुमारी
चौथा छमाही

लैंगिक समानता की दिशा में कदम -

1) शिक्षा का समान अवसर :- सभी लिंगों के लिए शिक्षा का समान अवसर सुनिश्चित करें।

2) कानूनी सुधार :- लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बनाएं और उनका प्रभावी कार्यान्वियन करें।

3) सामाजिक जागरूकता :- समाज में लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं।

4) कार्यस्थल पर समानता :- कार्यस्थलों पर समान अवसर और पारिश्रमिक की गारंटी दें।

5) स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता :- सभी लिंगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करें।

~ दि दि ट्रेलेंड जिना दास
चतुर्थ छमाही

लैंगिक समानता की दिशा में कदम -

1) शिक्षा का समान अवसर :- सभी लिंगों के लिए शिक्षा का समान अवसर सुनिश्चित करें।

2) कानूनी सुधार :- लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बनाएं और उनका प्रभावी कार्यान्वियन करें।

3) सामाजिक जागरूकता :- समाज में लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं।

4) कार्यस्थल पर समानता :- कार्यस्थलों पर समान अवसर और पारिश्रमिक की गारंटी दें।

5) [illegible]्य सेवाओं की उपलब्धता :- सभी लिंगों के लिए [illegible]्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित [illegible]रें।

~ दि दि ट्रेलेंड जिना दास
चतुर्थ छमाही

कोलकाता की चीख

रौशनी के शहर में, अंधेरा गहराया,
फिर एक बेटी ने, अपनों को बुलाया,
भीड़ से भरी गलियाँ, पर दिल था वीरान,
कोलकता की सड़कों पर, टूटा उसका मान,
गगनचुंबी इमारतें, चुपचाप खड़ी रहीं,
हर चीख पर यूँ लगा, जैसे सब जमी रहीं,
संस्कृति के इस आंगन में, कैसा ये अंधकार,
इंसानियत आज फिर, हो गई शर्मसार,
दरिंदों की हँसी गूंजी, उसकी चीखों की बातों में,
ख्वाब जो उसने बुने थे, उजड़ गए रातों में,
शब्दों की तलवारें, फिर कलमों में समा गईं,
पर न्याय की लौ कहीं, सिसकियों में दब गई,
कब समय है उठने का, हर हाथ को साथ चाहिए,
न्याय के दीप जलाने को, बस हिम्मत की बात चाहिए
नारी का सम्मान ही, असली सभ्यता का सार,
अब और न हो कोई बेटी, इस दर्द की हक़दार,
कब तक रहेगी बेटी, ये वहशी निगाहें,
हर कदम पर क्यों खड़ी, ऐसी दर्द भरी राहें?
कोलकाता ही क्यों, हर शहर ये हाल है,
कहीं न कहीं हर रोज़, लुटती मासूमीयत लाल है,

~ हिमाक्षी राजबंशी
चतुर्थ छमाही

पुरुष का दर्द

कौन समझे पुरुषों का दर्द,
जो हर आँसू को पी गया,
जो हर घाव को वह सह गया,
ज़िम्मेदारी का बोझ उसने बखूबी उठाया,
पर उसके दर्द को किसने अपनाया ?
उसके मन की पीड़ा अनकही,
उसकी मेहनत का कोई जवाब नहीं,
निभाया जिसने हर वो रिश्ता सही,
उसके मन को किसी ने न जाना कभी।

वो भी रोता है, पर दिखाता नहीं,
क्योंकि समाज ने सिखाया,
'पुरुष कभी रोते नहीं।'
अब ऐसी सोच को समाज को है बदलना,
क्योंकि अब से समझा जाएगा हर दर्द
पुरुष का।

~ विदिशा शाइकिया
छठी छमाही